(झारखण्ड के प्रमुख समाचार पत्रों में एवं झारखण्ड सरकार के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ)

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सूचना

सं0–3 / पर्या0प्रदू0–52 / 2007– 2075 **राँची / दिनांक :–18.05.2017**

चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग्स पर्यावरण के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है, यदि इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो इससे पर्यावरण एवं लोक–स्वास्थ्य को अपूरणीय क्षति हो सकती है;

और चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग को कम से कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से अनेक जागरूकता अभियान चलाया जाता रहा है, फिर भी प्लास्टिक बैग्स द्वारा उत्पन्न संकट जारी है;

और चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48–क, अन्य बातों के साथ–साथ, परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि झारखण्ड सरकार की राय है कि प्लास्टिक कैरी बैग के कारण गटर, मलनालियों एवं नालियों के अवरुद्ध होने, भूजल चक्र के कुप्रभावित होने और खुले में जाने–अनजाने जलने पर विषैली गैसों के उत्सर्जित होने से गंभीर पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं जिससे मानव स्वास्थ्य कुप्रभावित हो रहा है एवं मवेशियों द्वारा चरने के दौरान इसे खाने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और आयु का ह्रास हो रहा है; उक्त परिस्थितियों में पूरे राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है;

अतएव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा–5 के अधीन प्रदत्त शक्ति, जो भारत सरकार द्वारा धारा–23 के अधीन अधिसूचना सं0–एस.ओ. 352 (ई) नई दिल्ली, दिनांक–18.04.2001 से प्रत्यायोजित की गई है, को प्रयोग में लाते हुए, झारखण्ड सरकार धारा–4 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना का प्रारूप इससे प्रभावित होनेवाले सभी व्यक्ति, इकाई, संस्थान आदि की जानकारी के लिये प्रकाशित करती है तथा एतद् द्वारा सूचित करती है कि झारखण्ड सरकार द्वारा इस सूचना के झारखण्ड के प्रमुख समाचार पत्रों एवं झारखण्ड सरकार के वेबसाईट (www.jharkhand.gov.in / www.jharkhand.forest.gov.in / www.jspcb.org / www.prdjharkhand.in) पर प्रकाशन के पंद्रह दिनों की अवधि के समाप्त होने की तिथि अथवा उसके पश्चात् इसे विचारण हेतु लिया जायेगा। उक्त प्रारूप अधिसूचना पर आपत्तियाँ एवं सुझाव, यदि कोई हो, इससे प्रभावित होनेवाले सभी से आमंत्रित किये जाते है। ऐसी आपत्तियाँ एवं सुझाव **प्रधान सचिव / सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार**, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची–834002 को संबोधित किये जायेंगे। नियत अवधि की समाप्ति तक प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर झारखण्ड सरकार के द्वारा विचारण किया जायेगा।

इस प्रारूप अधिसूचना के अंतिम रूप से प्रकाशित होने पर पूर्व प्रकाशित अधिसूचना सं0–3 / पर्या0प्रदू0–52 / 2007–3691 व0प0, दिनांक–11.09.2013 निष्प्रभावी होगा।

राज्यपाल, झारखण्ड के आदेश से,

18/5/17

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना (प्रारूप)

सं0–3/प्रर्या0प्रदू0–52/2007– 2074 राँची/दिनांक– 18/5/17

चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग, अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट के कारक हैं;

और चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48–क, अन्य बातों के साथ–साथ, परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि झारखण्ड शासन की राय है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग से पर्यावरण एवं मानव के साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य को गंभीर एवं अपूरणीय क्षति हो रही है;

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग गटर, मलनालियों एवं नालियों को भी अवरुद्ध करते है, परिणामस्वरुप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं होती है;

और चूँकि ऐसी समस्या के होने को रोकने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को **"प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र"** के रुप में घोषित करने का विनिश्चय किया है;

अतएव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (वर्ष 1986 का 29) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, जो अधिसूचना क्र0–एस.ओ. 352 (ई) नई दिल्ली, दिनांक–18.04.2001 से भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन प्रत्यायोजित की गई है, को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात्

निर्देश

1. इस अधिसूचना के अंतिम गजट प्रकाशन की तिथि से झारखण्ड राज्य में कोई उद्योग, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नहीं करेगा और कोई व्यक्ति, जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगानेवाला या रेहड़ीवाला आदि सम्मिलित हैं, माल/सामग्रियों के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा तथा कोई व्यक्ति, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा।

परन्तु यह कि किसी निर्यात आदेश के विरुद्ध केवल निर्यात हेतु विनिर्मित प्लास्टिक कैरी बैग को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम–2(2) के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रयोज्यता से छूट होगी।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द "प्लास्टिक" और "कैरी बैग" का वही अर्थ होगा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत परिभाषित है। खाद्य सामग्री, दूग्ध एवं दूग्ध–उत्पाद की पैकेजिंग तथा नर्सरी के उन्नत पौधों के लिए प्रयुक्त आधान (कन्टेनर्स), कैरी बैग नहीं माने जायेंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम–12(1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों, जो इस अधिसूचना के लिये प्रासंगिक होंगे, के संबंध में प्रवर्तन का दायित्व झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का होगा तथा उक्त नियम के नियम–12(2) एवं 12(3) में विनिर्दिष्ट कृत्यों, जो इस अधिसूचना के लिये प्रासंगिक होंगे, के संबंध में प्रवर्तन का दायित्व क्रमशः स्थानीय नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत का होगा।

3. भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन जारी अधिसूचना क0–एस.ओ. 394 (ई) दिनांक–16.04.1987 में यथा उल्लिखित अधिकारी, इस अधिसूचना में शामिल विषयों के संबंध में इस अधिसूचना में निहित निर्देश के उल्लंघन संबंधी शिकायत सक्षम न्यायालय में दर्ज करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तिथि से पूर्व प्रकाशित अधिसूचना सं0–3/पर्या0प्रदू0–52/2007–3691 व0प0, दिनांक–11.09.2013 निष्प्रभावी होगा, परंतु इसके निष्प्रभावी होने का प्रभाव उक्त अधिसूचना के अधीन दायर एवं विचाराधीन न्यायिक शिकायत वादों पर नहीं पड़ेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

सं0–3/पर्या0प्रदू0–52/2007– **राँची/दिनांक–**

भारत के संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के आलोक में इस विभाग की अधिसूचना सं0– 2075 दिनांक– 18.5.17 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव